न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 90/2017

अनवान

श्रीमति प्रेमलता पत्नी पारसमल जैन जाति–जैन निवासी शाहपुरा मौहल्ला, ब्यावर जिला–अजमेर (राज0) .....प्रार्थी

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर। .....अप्रार्थी

मुन्तकिली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– 1. विभौर गौड अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री शुभकरणसिंह चौधरी राजकीय अभिभाषक

आदेश दिनांक :– 31.01.2018

प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 151 जा.दीवानी इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व प्रकरण संख्या 13/15, 18/15 बउनवान मौ0 अल्ताफ बनाम जौहरा व अन्य उपखण्ड अधिकारी ब्यावर के न्यायालय में विचाराधीन है, जिसमें प्रार्थिया को निष्पक्ष न्याय की उम्मीद नहीं है। अतः उपरोक्त प्रकरणों अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किया जावे एवं तब तक उक्त प्रकरणों में कार्यवाही स्थगित किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी कर उप खण्ड अधिकारी, ब्यावर से प्रार्थना पत्र बाबत् टिप्पणी तलब की गई। टिप्पणी प्राप्त होने पर अभिभाषक प्रार्थिया के निवेदन पर उपस्थित को सुना गया।

अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अप्रार्थी के न्यायालय में विचाराधीन राजस्व प्रकरण संख्या 13/15, 18/15 बउनवान मौ0 अल्ताफ बनाम जौहरा व अन्य दिनांक 29.6.2017 को लोक अदालत में सुनवाई हेतु नियत किये गये किन्तु प्रेषित सम्मन के संलग्न उक्त प्रकरण बाबत कोई नकल दस्तावेज नहीं किये गये। सम्मन देखने से किसी प्रकार की कोई जानकारी उक्त प्रकरण बाबत नहीं होने के बावजूद उक्त सम्मनों में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाये जाने का अंकन किया गया है। उपखण्ड अधिकारी ब्यावर श्री पीयूष समारिया, वर्तमान में आयुक्त नगर परिषद ब्यावर भी है। इनके द्वारा एक झूठी एफ.आई. आर. पक्षकार प्रार्थी/प्रतिवादी व अधिवक्ता प्रतिवादी व अन्य के विरूद्ध दर्ज करवाई गई। वहीं श्री पीयूष समारिया, आयुक्त नगर परिषद ब्यावर व अन्य के विरूद्ध फौजदारी प्रकरण सम्बन्धित न्यायालय में दर्ज करवाया गया जो विचाराधीन है। इस कारण प्रार्थी/प्रतिवादी एवं उनके अभिभाषक का उनके समक्ष उपस्थित होकर पैरवी करना दुंभर हो गया है। उक्त स्थिति में प्रार्थी/प्रतिवादी व अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी को वर्तमान पीठासीन अधिकारी श्री पीयूष समारिया, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ब्यावर से इन प्रकरणों में निष्पक्ष न्याय की उम्मीद नहीं है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा इन प्रकरणों में मनमाने आदेश कर प्रार्थी/प्रतिवादी नं0 01 को गंभीर क्षति कारित करने की पूरी–पूरी संभावना है। प्रार्थिया के पति द्वारा प्रस्तुत समान प्रकृति के प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी ब्यावर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण को सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर के न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने के आदेश श्रीमान् द्वारा दिनांक 16.11.2017 को प्रदान किया गया है। तद्नुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उपखण्ड अधिकारी ब्यावर के न्यायालय में विचाराधीन उक्त प्रकरणों को सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने के आदेश न्यायहित में फरमाया जावें। उपस्थित राजकीय अभिभाषक ने निवेदन किया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा विचाराधीन प्रश्नगत प्रकरणों में किसी प्रकार का कोई निर्णय पारित नहीं किया गया है। प्रार्थी द्वारा झूठे एवं मनघंडत तथ्यों के आधार पर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो सरसरी तौर पर ही खारिज योग्य है। फिर

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

31/1/18
जिला कलक्टर
अजमेर

भी प्रकरणो को अन्यत्र स्थानान्तरित किया जाता हैं तो न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर को कोई आपत्ति नहीं है।

हमने उभय पक्षों की बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया। सुनवाई दौरान प्रकट तथ्यों के तहत पीठासीन अधिकारी के द्वारा आयुक्त नगर परिषद, ब्यावर के कार्यभार रहने दौरान प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराने वहीं पीठासीन अधिकारी व अन्य के विरूद्ध भी परस्पर फौजदारी प्रकरण दर्ज करवाया है। इसलिए प्राथी/अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रश्नगत प्रकरणों में पैरवी करने में असुविधा प्रतीत करने के साथ–साथ निष्पक्ष न्याय की उम्मीद नहीं होना जाहिर किया है। न्याय प्रशासन का सर्वमान्य सिद्धान्त है कि न्यायिक प्रक्रिया में पूर्ण विश्वसनीयता होनी चाहिये एवं किसी पक्षकार द्वारा उचित आधार पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरणों को किसी अन्य पीठासीन अधिकारी के पास हस्तान्तरित किया जा सकता है। यहॉ यह भी उल्लेखनिय है कि किसी पक्षकार को यह अनुमति नहीं दी जा सकती कि वह असत्य एवं आधारहीन तथ्यों के आधार पर उपरोक्त न्यायिक सिद्धान्त का अनुचित लाभ लेते हुये अधीनस्थ न्यायालय पर अनावश्यक आक्षेप लगाये अथवा दबाव डाले एवं न्यायिक प्रक्रिया में रूकावट उत्पन्न करें। चूकिं पक्षकारान द्वारा पीठासीन अधिकारी श्री पीयूष समारिया, आयुक्त नगर परिषद ब्यावर व अन्य के विरूद्ध दर्ज फौजदारी प्रकरण सक्षम न्यायालय में विचाराधीन होना प्रकट करते हुए पीठासीन अधिकारी पर अविश्वास व्यक्त करते हुए उनके न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने की इस्तदुआ की गई है। पीठासीन अधिकारी ने भी इसमें कोई आपत्ति नहीं की है। उपरोक्त तथ्यों के तहत प्रश्नगत प्रकरणों को यथावत रखना उचित नहीं होगा। अतः न्याय के सर्वमान्य सिद्धान्त के मध्यनजर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ब्यावर में विचाराधीन राजस्व प्रकरण संख्या 13/15, 18/15 बउनवान मौ0 अल्ताफ बनाम जौहरा व अन्य को आगामी सुनवाई हेतु सहायक कलक्टर (मु0)अजमेर के न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने का आदेश दिया जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 31.01.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

31/01/18

(गौरव गोयल)
जिला कलक्टर,
अजमेर